



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63040

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8979 वर्ष 2026

कासिम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता

: पंकज सत्संगी

प्रतिपक्षी (गण) के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सत्संगी और राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक-कासिम की ओर से पुलिस स्टेशन बिल्सी, जिला बदायूँ में पंजीकृत मामला अपराध संख्या 03 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 3 के साथ पठित धारा 2, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, में परीक्षण की लम्बितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक दोनों मामलों में जमानत पर है; जिसे गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध प्रदर्शित किया गया है, उपरोक्त से हटकर, वह दो अन्य

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामलों में भी जमानत पर है। पांचवें मामले में उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक, जो 30.1.2026 से जेल में अवांछित स्थिति में पड़ा हुआ है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण परीक्षण के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है।

6. अभियुक्त को गैंग चार्ट में दर्शाये गये दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है, उपरोक्त के अलावा, दो अन्य मामलों में भी उसे जमानत मिली हुई है। पांचवें मामले में उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त 30.1.2026 से जेल में दिन काट रहा है।

7. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक- **कासिम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उसके 50,000 रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक को (i) परीक्षण शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 351 के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करना होगा कि जब साक्षीगण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी तरह से इसे मामले के गुणदोष पर एक अभिव्यक्ति के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जाएगा। परीक्षण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

24 मार्च, 2026

कुमार मनीष